विधान परिषद के तृतीय सत्र-2023 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री भीमराव अम्बेडकर, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूँछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-18 का उत्तर।

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| 18 (क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत गरीब बच्चों का प्रवेश प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में कराया जाता है? | जी हॉ।<br>निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत ‘‘अलाभित समूह‘‘ एवं ‘‘दुर्बल वर्ग‘‘ के बच्चों का प्रवेश गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा-1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। |
| (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने छात्रों का प्रवेश कराने के लिए कक्षावार सीटें आरक्षित की गई हैं? | वर्ष 2023-24 में 134718 बच्चों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया गया है। चयनित 134718 के सापेक्ष 93247 बच्चों का प्रवेश सम्बन्धित विद्यालयों में कराया जा चुका है। शेष के प्रवेश की कार्यवाही गतिमान है। |
| (ग) क्या आरक्षित सीटों पर शिक्षण संस्थान प्रवेश देने में टाल मटोल करते हैं? | आरक्षित सीटों पर शिक्षण संस्था प्रवेश लिये जाने हेतु आर0टी0ई0 एक्ट 2009 के अन्तर्गत बाध्य है। यदि विद्यालय द्वारा प्रवेश नहीं लिया जाता है तो सम्बन्धित विद्यालय के विरूद्ध कार्यवाही का प्राविधान है। |
| (घ) यदि हॉ, तो क्या इस सम्बन्ध में प्रभावी व्यवस्था करायेंगे? | पूर्व से ही व्यवस्था है। |
| (ड.) यदि हॉ, तो कब तक? | प्रश्न ही नहीं उठता। |
| (च) यदि नहीं, तो क्यों? | प्रश्न ही नहीं उठता। |

संदीप सिंह
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
बेसिक शिक्षा।